न्यायालय राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड।

निगरानी संख्या –29 वर्ष 2012–13 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम।

श्रीमती नन्दा सुब्बा पत्नी डी0बी0 सुब्बा निवासी बेल रोड, क्लेमनटाउन, देहरादून।

–निगरानीकर्ता।

बनाम

श्रीमती लीला देवी पत्नी स्व0 रतन सिंह, निवासी ग्राम रांझावाला, रायपुर, देहरादून व अन्य।

–विपक्षीगण।

बावत

भूमि स्थित मौजा रायपुर, परगना परवादून, तहसील व जिला देहरादून।

निर्णय

यह निगरानी विद्वान अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून द्वारा वाद संख्या–02/2009–10 अन्तर्गत धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 17 नवम्बर, 2012 के विरूद्व दायर की गई है जिस द्वारा निगरानीकर्ता का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र दिनांक 06 अक्टूबर, 2009 अस्वीकृत कर दिया गया था जिसके फलस्वरूप अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून द्वारा वाद संख्या–10/2008 अन्तर्गत धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम में पारित आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2009 जिसे एक पक्षीय बताकर उपर्युक्त पुनर्स्थापना का प्रार्थना पत्र दिया गया था कायम रहा।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क विस्तार पूर्वक सुने गए। संक्षेप में यह मामला तब उत्पन्न हुआ जब निगरानीकर्ता ने विवादित भूमि का नामान्तरण अपने पक्ष में 08 जुलाई, 2006 को करा लिया जिसे एक पक्षीय व त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रतिपक्षी ने अपर तहसीलदार, सदर, देहरादून में नामान्तरण वाद को पुनर्स्थापित करने का प्रार्थना पत्र दिया जो नामन्जूर होने पर प्रतिपक्षी ने अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून के समक्ष निगरानी पेश की जो स्वीकार कर ली गई।

मैंने अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून द्वारा पारित आदेश दिनांक 27 नवम्बर, 2012 का अवलोकन किया। विद्वान अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून द्वारा पाया गया कि उनके पूर्वाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2009 एकपक्षीय नहीं था क्योंकि पक्षों की बहस आदेश से पूर्व की तिथि 06 अप्रैल, 2009 को सुनी गई थी। अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून की इस finding को वर्तमान निगरानी में चुनौती नहीं दी गई है। जब अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून द्वारा यह पाया गया है कि उनके

पूर्वाधिकारी का आदेश एकतरफ़ा नहीं था तो धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम का प्राविधान आकर्षित ही नहीं होता है।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने बताया कि अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून ने धारा–201 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत सुनवाई करते हुए धारा–219 भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग किया है परन्तु इस तर्क की पुष्टि अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून के आदेश दिनांक 27 नवम्बर, 2012 से नहीं होती है क्योंकि जब निगरानीकर्ता का पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र आक्षेपित आदेश से अस्वीकार कर दिया गया तो स्वभाविक है अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून के आदेश दिनांक 16 अप्रैल, 2009 के अनुसार दोनों पक्षों को अपर तहसीलदार (सदर) के समक्ष प्रस्तुत होना था।

निगरानीकर्ता ने दिनांक 02 जुलाई, 2012 को पारित आदेश तथा आक्षेपित आदेश के प्रसंग में अपर कलेक्टर (प्रशासन), देहरादून पर पूर्वाग्रह से कार्य करने का आरोप लगाया है परन्तु अवर न्यायालय की वाद पत्रावली को देखने से ऐसा विदित नहीं है।

उपरोक्त कारणों से निगरानी अस्वीकार की जाती है।

देहरादून,
11 अक्टूबर, 2013

(सुनील कुमार मुद्दू)
अध्यक्ष।